ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI TITLED No. :UPBIL04292,
RNI REG. No.: UPBIL/2014/66218, SOCI.REG. No.: 561/2013-14 Vol.-5, No.-II, PP-208-211,YEAR- DEC.2016

भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना एवं कार्य

❑ डॉ0 अनलेश कुमार

भारत में केन्द्रीय बैंक की स्थापना का प्रश्न सर्वप्रथम 1913 में चैम्बरलेन आयोग के सदस्य लार्ड कीन्स ने उठाया था। इस प्रश्न के आधार पर समस्त प्रेसीडेंसी बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक की स्थापना की गई। इस बैंक को नोड निर्गमन का कार्य नहीं सौंपा गया क्योंकि यह बैंक स्वयं एक व्यापारिक बैंक था। इसलिए इससे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह अन्य बैंकों की पर्याप्त सहायता कर सकेगा। इसके पश्चात् हिल्टन यंग आयोग ने 1926 में यह मत प्रकट किया कि भारतीय मुद्रा बाजार में मुद्रा तथा साख नियमन करने के द्वि–शासन पद्धति को समाप्त किया जाय तथा भारतीय मुद्रा बाजार को सुसंगठित करने के लिये रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की जाय। परन्तु सरकार ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया। 1931 में केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी भारत में केन्द्रीय बैंक की स्थापना पर बल दिया। 1933 में गोलमेज सम्मेलन में यह प्रश्न पुनः उठाया गया। सम्मेलन में यह विचार रखा गया कि भारत में राजनैतिक प्रभाव से मुक्त एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना करनी चाहिए। सितम्बर 1933 में भारतीय विधायिका सभा में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बिल विचार करने हेतु प्रस्तुत किया गया जो अन्त में पारित हुआ। 6 मार्च 1934 को उस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने कार्य करना आरम्भ किया।

पूँजी– रिजर्व बैंक की स्थापना एक अंशधारी संस्था के रूप में हुई, जिसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रूपये थी। यह पूंजी 100–100 रुपये के 5 लाख अंशों में विभक्त थी, जिसमें 2.20 लाख रुपये के अंश केन्द्रीय सरकार ने संचालकों के लिये सुरक्षित कर दिये थे। शेष पूंजी निजी अंशधारियों के स्वामित्व में थी। परन्तु सन् 1948 में रिजर्व बैंक अधिनियम (संशोधन) के अधीन 1 जनवरी 1949 से रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया। सरकार ने प्रत्येक 100 रुपये के अंश को 118 रु0 10 आने देकर क्रय कर लिया। रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंक का संगठन तथा प्रबन्ध निम्न रीति से होता है–

संगठन तथा प्रबन्ध – बैंक का सामान्य प्रबन्ध तथा संचालन एक केन्द्रीय संचालन मण्डल द्वारा किया जाता है। इस मण्डल में 19 सदस्य होते हैं जिनमें एक गवर्नर तथा चार उप–गवर्नर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, चार संचालक रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम की धारा 8 उपधारा 1 (ब) के अन्तर्गत बैंक के चार स्थानीय संचालक मण्डलों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 9 संचालक रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम की धारा 8 उपधारा (1) (स) के अधीन तथा एक सरकारी अधिकारी भारत सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। सरकारी अधिकारी भारत सरकार का वित सचिव हो सकता है।

रिजर्व बैंक का कार्य संचालन दो विभागों में बाँटा गया है–

1. निकासी विभाग – जिमसें केवल नोट छापने का कार्य होता है।

2. बैंकिंग विभाग – इस विभाग में बैंक सम्बन्धी समस्त कार्य होते हैं।

इस विभाग को तीन उप विभागों में बॉटा गया है– **(अ) कृषि–साख विभाग**–यह विभाग कृषि तथा ग्रामीण वित्त सम्बन्धी सारे कार्यों की देखभाल करता है। (ब) विनियम–नियन्त्रण विभाग–इस विभाग के अधीन विनियम नियन्त्रण सम्बन्धी सारे कार्य सम्पन्न होते हैं। **(स) बैंकिंग कार्य विभाग**–यह विभाग देश की बैंकिंग प्रणाली को नियन्त्रित करता है। इस विभाग

❑ एसोसिएट प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, नेशनल पी.जी. कालेज, भोगाँव–मैनपुरी (उ0प्र0), भारत

को तीन हिस्सों में विभक्त किया गया है– (अ) संचालन विभाग–इसके अन्तर्गत देश के सभी बैंकों का संचालन होता है। (ब) निरीक्षण विभाग–यह विभाग सभी अनुसूचित बैंकों का समय–समय पर निरीक्षण करता है। (स) निस्तारण विभाग– किसी भी बैंक के असफल हो जाने के उपरान्त की सभी कार्यवाहियाँ इस विभाग की देख–रेख में होती है।

रिजर्व बैंक के कार्य– रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक अधिनियिम 1934 की प्रस्तावना के अनुसार बैंक का "मुख्य कार्य भारत में मौद्रिक स्थिरता स्थापित करने, मुद्रा तथा साख प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए बैंक नोटों का प्रचालन तथा रक्षित कोषों का नियमन करता है।" मौद्रिक प्रणाली को सुचारू रूप से नियमित करने के लिए रिजर्व बैंक निम्न कार्य सम्पन्न करता है–

1. सरकारी बैंकर का कार्य– रिजर्व बैंक भारत के केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बैंकर, प्रतिनिधि तथा परामर्शदाता का कार्य करता है। यह सरकार की समस्त आय जमा करता है, व्यय का भुगतान करता है और ऋण की व्यवस्था करता है। रिजर्व बैंक केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सरकारी खाते में आयात किये गये माल का भुगतान करने के लिए विदेशी विनियम की व्यवस्था करता है। वह मौद्रिक वैत्तिक तथा आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सरकार की सहायता करता है।

2. नोटों का निर्गमन – रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन करने का एकाधिकार है। यह 2, 5, 10, 50, 100, 500, 2000, 5000 एवं 10000 रुपये के नोट निर्गमन कर सकता हैं 5000 व 10000 के नोटों का प्रचलन अब बन्द कर दिया गया है। केवल एक रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा निर्गमित किया जाता है।

3. साख नियमन– रिजर्व बैंक का एक प्रमुख कार्य यह भी है कि वह साख का नियमन करता है। वह बैंक दर में परिवर्तन करके, खुले बाजार की प्रतिक्रियाओं तथा वैधानिक अधिकारों का उपयोग करके साख पर नियन्त्रण रखता है।

रिजर्व बैंक ने अनेकों बार बैंक दर में परिवर्तन करके साख को नियन्त्रण करने का प्रयास किया है। 2 जनवरी 1962 को बैंक दर 4 से 4.5 प्रतिशत कर दी गई। दूसरी वृद्धि 25 सितम्बर 1964 को हुई। इस बार बैंक दर में 0.5 प्रतिशत वृद्धि के परिणामस्वरूप बैंक दर 5 प्रतिशत हो गई। 17 जनवरी 1965 को यह दर बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दी गई। बैंक दरों में वृद्धि निम्न तीन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई–(1) विकास योजनाओं के अन्तर्गत सार्वजनिक व्यय बढ़ने के कारण मुद्रा–प्रसार को कम करना था। (2) चीनी आक्रमण के कारण रक्षा पर अधिक व्यय होने से जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ी थी, उसको प्रभावहीन करना था। (3) बैंक दर तथा बाजारू ब्याज की दर के अन्तर को कम करना था क्योंकि इससे पहले बाजारू ब्याज की दर बैंक दर की तुलना में बहुत ऊँची थी। बाद में उत्पन्न हुई अर्थव्यवस्था की मन्द गति को तीव्र करने तथा कृषि एवं लघु उद्योगों को सस्ती ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक दर 2 मार्च 1968 को 6 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई। खुले बाजार की क्रियाओं के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को प्रतिभूतियों के क्रय–विक्रय का पूरा अधिकार है। साख में मौसमी परिवर्तनों (Seasonal Variations) को कम करने के लिए रिजर्व बैंक अपने स्थापन काल से ही प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय करता आ रहा है। परिवर्तनीय कोषानुपात साख नियन्त्रण का अभिन्न शस्त्र है जिसका रिजर्व बैंक ने प्रयोग किया है आरम्भ में अनूसूचित बैंकों को अपनी चालू जमा का 5 प्रतिशत तथा स्थायी जमा का 2 प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास जमा कराना अनिवार्य किया गया। परन्तु 6 अक्टूबर 1956 में इनमें इस प्रकार परिवर्तन किया गया जिससे रिजर्व बैंक साख नियन्त्रण में लोचपूर्ण नीति अपना सके। इसलिए परिवर्तनीय कोषानुपात में संशोधन करके रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया कि वह स्थायी जमा का 2 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक और चालू जमा का 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत अपने यहां जमा करा सकता है। इन प्रतिशतों को रिजर्व बैंक के पास जमा करते समय खाते की राशि को स्थायी खाते की राशि में जोड़ने लगे। ऐसा करने से रिजर्व बैंक के पास राशि का

कम अनुपात जमा करना पड़ता था। इस अनियमितता को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42 (1) में संशोधन किया गया। 15 सितम्बर 1962 से सब अनुसूचित बैंकों को अब अपने कुल जमाओं का 3 प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास जमा करना अनिवार्य कर दिया गया।

उपरोक्त साख नियन्त्रण की रीतियों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक की, रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 21 के अधीन प्रवृत्य साख नियन्त्रण (Selective credit Control) का अधिकार प्राप्त है। जब किसी वस्तु के भण्डारों के निर्मित होने से उसकी पूर्ति कम हो जाती है और उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तब रिजर्व बैंक ऐसी वस्तु की धरोहर पर ऋण देने के लिए मूल्यान्तर निश्चित करता है। मूल्यान्तर जितना बढ़ेगा बैंक उतनी ही साख कम दे पायेंगे। रिजर्व बैंक ने इस रीति का प्रयोग सर्वप्रथम 1956 में किया था। यह मूल्यान्तर चावल, धान, चना, दाल, चीनी, मूँगफली तथा तेलों पर निर्धारित किये गये हैं।

4. विनियम दर में स्थायित्व बनाये रखना–रिजर्व बैंक का एक वैधानिक कार्य रूपये की बाह्य कीमत को एक निश्चित बिन्दु पर बनाये रखना है, परन्तु रिजर्व बैंक विदेशी विनियम केवल उन दरों पर खरीद तथा बेच सकता है जिन्हें सरकार समय–समय पर निर्धारित करती है। मुद्रा कोष द्वारा निश्चित दरों पर रिजर्व बैंक कोई भी विदेशी मुद्रा खरीद अथवा बेच सकता है।

5. बैंक व्यवस्था का नियमन– यह रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य है कि वह देश की बैंक व्यवस्था को नियन्त्रि एवं संगठित करे ताकि वह जनता में विश्वास उत्पन्न करके अधिकाधिक निक्षेप प्राप्त कर सके और देश के उद्योग एवं व्यापार के लिए यथेष्ठ पूँजी की व्यवस्था करे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रिजर्व बैंक लाइसेंस प्रणाली, प्रबन्ध में हस्तक्षेप, तरल कोष, पूँजी की मात्रा, शाखा विस्तार नीति, निरीक्षण तथा अवसायन एवं विलियन (Liquidation and Amalgamation) के द्वारा, व्यापारिक बैंकों पर अंकुश बढ़ाता रहता है। बैंकों के समाजीकरण से रिजर्व बैंक को और भी अधिकार मिल गये हैं।

6. बैंकिंग कार्य– यह सरकारों के निक्षेपों को स्वीकार करता है। इसको विनियम बिलों, प्रतिज्ञ पत्रों आदि के क्रय–विक्रय और फिर से भुनाने का भी अधिकार है। इसको विदेशी विनियम खरीदने और बेचने का भी अधिकार है। रिजर्व बैंक राज्यों, स्थानीय सरकारों, अनुसूचित बैंकों तथा राज्य सरकारी बैंकों को ऋण भी दे सकता है। रिजर्व बैंक विदेशी केन्द्रीय बैंक के साथ एजेन्सी व्यवस्था भी स्थापित कर सकता है। रिजर्व बैंक को निम्न कार्यों को करने पर रोक लगा दी गई है–(1) व्यापार वाणिज्य में भाग लेना, (2) कम्पनियों के अंशें का क्रय करना, (3) अचल सम्पत्ति पर ऋण देना, (4) निक्षेपों पर ब्याज तथा (5) मांग पर अशोधनीय बिलों पर व्यवहार करना।

प्रगति– रिजर्व बैंक औद्योगिक वित्त संस्थाओं एवं नियमों की अंश पूँजी में भाग लेता है और उन्हें ऋण भी देता है। औद्योगिक विकास बैंक में कुल पूँजी रिजर्व बैंक ने ही लगाई है।

ग्रामीण साख की पूर्ति में रिजर्व बैंक का योगदान अद्वितीय माना जाता है। यह एक ऐसा अतिरिक्त काम है जो भारत में केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक को करना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक की सहायता से ग्रामीण साख की एकीकृत योजना पर अमल किया गया। 1956 में कृषि को अधिक उदारतापूर्वक सहायता देने हेतु दो कोषों–राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष तथा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरता) कोष–की स्थापना रिजर्व बैंक की सहायता से की गई। यह केन्द्रीय भूमि विकास बैंक के ऋण पत्रों को खरीदता है। ग्रामीण बचतों को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण ऋण पत्र योजना भी शुरू की। सहकारी समितियों को भी पर्याप्त मात्रा में ऋण एवं सहायता देता है।

रिजर्व बैंक, बैंक दरों को नीचा करके व्यापार उद्योग एवं कृषि सम्बन्धी वित्तीय आवश्यकताओं को अधिक से अधिक पूरा करने को प्रयत्न कर रहा है। देश में प्रचलित ब्याज की सामयिक दरों के उच्चावचनों को कम करने में काफी सफलता प्राप्त की है। विशेष सुविधाओं (Remittances Facilities) में भारी

वृद्धि की गई है। बैंक ने सस्ते ऋण प्रदान करने में ख्याति प्राप्त की है। बैंकिंग विधान के निर्माण का कार्य सराहनीय रहा है। देश के 48 केन्द्रों में समाशोधन की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त इसका खोज एवं अनुसंधान कार्य तथा आँकड़ों का संग्रह तथा प्रकाशन सम्बन्धी कार्य भी प्रशंसनीय रहा है। आलोचकों का मत है कि रिजर्व बैंक देशी बैंकिंग प्रणाली से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने में असफल रहा है। इसको बैंकिंग संकटों को पूर्णतया दूर करने में असफलता मिली है। यह भारतीय सम्मिलित पूँजी बैंकों को विदेशी विनियम व्यवसाय में उनका समुचित हिस्सा प्रदान करने में अधिक सफल नहीं रहा है। इसकी लाइसेंस प्रणाली भी असंतोषजनक बताई जाती है। 1966 का रुपये का अवमूल्यन इस बात का प्रमाण है कि यह विनियम दर को स्थिर रखने में असफल रहा है। यह मुद्रा प्रसार को रोकने में कोई सफलता प्राप्त न कर सका।

इन विफलताओं के पश्चात् भी रिजर्व बैंक का देश की मौद्रिक एवं वित्तीय व्यवस्था में योगदान प्रशंसनीय रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, डॉ0 हरिश्चन्द्रः मौद्रिक अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा–3
2. शर्मा, डॉ0 के0एस0ः डॉ0 वी0डी0 नागर, सुरेश चन्द्र शर्मा, मौद्रिक अर्थशास्त्र, गोयल पब्लिशिंग हाउस, सुभाष बाजार, मेरठ–2
3. भटनागर, कालिका प्रसादः आर्थिक एवं विचारों का इतिहास, किशोर पब्लिशिंग हाउस, परेड रोड़, कानपुर–1
4. शर्मा, प्रो0 रमेश चन्द्रः आर्थिक विचारों का इतिहास, राजीव प्रकाशन मेरठ।
5. Johnson, Harry G.:" Monetary Theory and Policy" American Eco nomic Review, 1962
6. Kent, R.P. : Money and Banking.
7. J.M. Keynes: A Tract on Monetary Reform.
8. Gupta, G.P. : The Reserve Bank of India and Monetary Management.
9. Sethi, J.D. : problems of monetary policy in an underdeveloped coun try (1961) Asia Publishing House, Bombay.